रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 311] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 21, 2017/वैशाख 1, 1939
No. 311] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 21, 2017/ VAISAKHA 1, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 2017

सं. 17 /2017-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 400(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 के उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 271, दिनांक 25 अक्तूबर, 1958, जिसे सा.का.नि. 991(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 1958 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा लोप की गई बातों को छोड़कर, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, एतद्द्वारा, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) के प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं , जब उनका आयात भारत में किया गया हो अथवा जब उनको सेना, नेवी, एयरफोर्स या केन्द्रीय अर्धसैनिक बल की किसी यूनिट द्वारा भारत लाया जा रहा हो जब विदेश में सेवा से वापस लौट रही हो, को उस सीमा शुल्क से पूर्ण रूपेण छूट प्रदान करती है जो कि उनपर उप सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप से लगाया जाता हो अथवा उस अतिरिक्त शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान करती है जो कि उस पर उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत लगाया जाता है:

बशर्ते कि ऐसी वस्तुओं के बारे में सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क उप आयुक्त सीमा शुल्क, जैसी भी स्थिति हो, और जिनके अधिकार में वे आते हों, इस बात से संतुष्ट हों कि इनका निर्यात किया गया है और अथवा ऐसी इकाईयों द्वारा उन्हें भारत से लेकर जाया गया है।

[फा.सं. 354/64/2017-टीआरयू]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st April, 2017

No. 17/2017-Customs

G.S.R.400(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 271 dated 25th October, 1958 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 991(E) dated the 25th October, 1958, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods, falling under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India by or along with a unit of the Army, the Navy, the Air Force or the Central Paramilitary Forces on the occasion of its return to India after a tour of service abroad, from the whole of the duty of customs leviable thereon which is specified in the First Schedule to the said Customs Tariff Act and from the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act:

Provided that such goods are proved to the satisfaction of the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs, as the case may be, having jurisdiction, to have been exported by or along with such unit on the occasion of its departure from India.

[F.No. 354/64/2017-TRU]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.04.24 13:43:03 +05'30'